

WTO स्क्रूटनी के तहत भारत की गन्ना सब्सिडी

प्रलिस के लयि:

वशिव व्यापार संगठन, गन्ना, सब्सिडी और प्रतकिरी उपायों पर WTO का समझौता, WTO का कृषि पर समझौता, व्यापार और टैरफि पर सामान्य समझौता (GATT) ।

मेन्स के लयि:

WTO और इसकी भूमिका, WTO में चीनी सब्सिडी का मुद्दा, चीनी उद्योग में सब्सिडी का महत्त्व ।

स्रोत: इकनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने तर्क दिया है कि भारत अपने किसानों को वशिव व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के कृषि समझौते (AoA) में नरिधारति सीमा से अधिक गन्ना सब्सिडी दे रहा है, इन देशों ने इसे वैश्विक मानकों का उल्लंघन बताया है जो वैश्विक व्यापार को वकित कर सकता है ।

कृषि पर डब्ल्यूटीओ का समझौता (AoA) क्या है?

परचिय:

- कृषि पर समझौता (AoA) वशिव व्यापार संगठन (WTO) द्वारा स्थापति एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ।
- टैरफि और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के उरुग्वे दौर के दौरान इस पर बातचीत की गई तथा 1 जनवरी, 1995 को WTO की स्थापना के साथ यह लागू हुआ ।

उद्देश्य:

- AoA का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार पहुँच एवं वैश्विक बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है ।
- AoA का लक्ष्य एक नषिपक्ष और बाजार-उन्मुख कृषिव्यापार प्रणाली स्थापति करना है ।
- यह अपने देश में कृषिसहायता और सुरक्षा में पर्याप्त प्रगतशील कटौती प्रदान करने के लयि सभी WTO सदस्यों पर लागू नयिओं को नरिधारति करता है ।

AoA के 3 स्तंभ:

- **घरेलू समर्थन:** यह घरेलू सब्सिडी में कटौती का आह्वान करता है जो मुक्त व्यापार और उचित मूल्य को वकित करता है ।
 - इस प्रावधान के तहत, **वकिसति देशों** द्वारा **समर्थन के समग्र मापन (AMS)** को 6 वर्षों की अवधि में 20% और **वकिसशील देशों** द्वारा 10 वर्षों की अवधि में 13% कम किया जाना है ।
 - इसके तहत, सब्सिडी को **ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स सब्सिडी** में वर्गीकृत किया गया है ।
- **बाजार पहुँच:** WTO में वस्तुओं के लयि बाजार पहुँच का मतलब उन शर्तों, टैरफि और गैर-टैरफि उपायों से है, जनि पर सदस्यों द्वारा अपने बाजारों में वशिषिट वस्तुओं के प्रवेश के लयि सहमति वियक्त की जाती है ।
 - बाजार पहुँच के लयि आवश्यक है **कसिवतंत्र व्यापार की अनुमति देने के लयि** अलग-अलग देशों द्वारा **नरिधारति टैरफि (जैसे सीमा शुल्क)** में उत्तरोत्तर कटौती की जाए । इसके लयि देशों को **गैर-टैरफि बाधाओं को दूर करने** और उन्हें टैरफि शुल्क में बदलने की भी आवश्यकता थी ।
- **नरियात सब्सिडी:** कृषि के इनपुट पर सब्सिडी, नरियात को सस्ता बनाना या नरियात के लयि अन्य प्रोत्साहन जैसे आयात शुल्क में छूट आदिको नरियात सब्सिडी के अंतरगत शामिल किया जाता है ।
 - इनके परिणामस्वरूप अन्य देशों में अत्यधिक सब्सिडी वाले (और सस्ते) उत्पादों की डंपिंग हो सकती है और अन्य देशों के घरेलू कृषिक्षेत्र को नुकसान हो सकता है ।

WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की एक संधि जिस पर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) के उन्मुख्य दौर के दौरान बातचीत शुरू हुई; औपचारिक रूप से 1994 में मारकेस, मोरक्को में इसकी पुष्टि की गई वर्ष 1995 में यह संधि प्रभावी हुई

विशेषताएँ

- बाज़ार पहुँच (व्यापार बाधाओं को कम करके कृषि उत्पादों के लिये बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देना)
- घरेलू सहायता (सब्सिडी बॉक्स को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है)
- निर्यात सब्सिडी (निर्यात सब्सिडी जो व्यापार को विकृत कर सकती है, के उपयोग को कम करना)

सब्सिडी बॉक्स

एम्बर बॉक्स सब्सिडी

- किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है
 - उदाहरण: खाद, बीज, विद्युत, सिंचाई जैसी निविष्टियों के लिये सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
- एम्बर बॉक्स का उपयोग घरेलू समर्थन के उन सभी उपायों के लिये किया जाता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे उत्पादन एवं व्यापार को विकृत कर सकते हैं
 - परिणामस्वरूप, हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आने वाले घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होना आवश्यक होता है
- जो सदस्य इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपना एम्बर बॉक्स समर्थन अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के भीतर रखना चाहिये। (डि मिनिमस क्लॉज)
 - विकासशील देशों के लिये 10%
 - विकसित देशों के लिये 5%
- भारत का MSP कार्यक्रम जाँच के दायरे में है, क्योंकि यह 10% की सीमा से अधिक है

ब्लू बॉक्स सब्सिडी

- "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स" - विकृति को कम करने के लिये अभिकल्पित
- ऐसा कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है लेकिन उसके लिये किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है
 - इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा आरोपित करके अथवा किसानों के लिये अपनी भूमि का एक हिस्सा खाली छोड़ना अनिवार्य करके उत्पादन को सीमित करना है
- वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है

ग्रीन बॉक्स सब्सिडी

- घरेलू समर्थन के उपाय जो व्यापार विकृति का कारण नहीं बनते हैं या कम-से-कम विकृति का कारण बनते हैं
- ये सब्सिडी फसलों पर बिना किसी मूल्य समर्थन के सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं
 - इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं
- बिना किसी सीमा के अनुमत (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर)



AoA के उल्लंघन के संबंध में भारत पर क्या आरोप हैं?

■ घटना की पृष्ठभूमि:

- यह आरोप वर्ष 2019 के पछिल्ले आरोप का अनुसरण करता है जब ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने WTO में भारत के खिलाफ विवाद शुरू किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है।
- इसके परिणाम स्वरूप, 2021 में एक WTO पैनल ने दावों की पुष्टि की, हालाँकि, भारत ने नषिकर्षों के विरुद्ध अपील की तथा पैनल की रिपोर्ट को WTO के विवाद नपिटान निकाय द्वारा अपनाने से रोक दिया।

■ भारत के विरुद्ध शिकायतः

- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि भारत के कृषि समर्थन उपाय कृषि पर WTO के समझौते की वभिन्नि धाराओं के साथ असंगत हैं।

- वर्ष 2018-2022 की अवधि के लिये, भारत का बाज़ार मूल्य समर्थन WTO के AoA के अनुसार, 10% के अनुमत स्तर की तुलना में प्रतिवर्ष चीनी उत्पादन के मूल्य का 90% से अधिक था।
- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की रिपोर्टिंग में एक महत्वपूर्ण अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला तथा दावा किया कि भारत ने वणिग्न वर्ष 1995-96 के बाद से किसी भी घरेलू समर्थन अधिसूचना में गन्ना या उसके व्युत्पन्न उत्पादों को शामिल नहीं किया है।
- इस चूक के कारण WTO के पास वैश्विक व्यापार नियमों में भारत के अनुपालन का आकलन करने के लिये पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- चूँकि, वर्तमान में WTO का अपीलीय निकाय सदस्यों की कमी के कारण नषिक्रयि है, अतः किसी भी अपील पर तब तक नरिणय नहीं लिया जा सकता जब तक कि निकाय पुनः क्रियाशील न हो जाए।

■ भारत का रुखः

- वर्ष 2022 में भारत ने WTO के व्यापार विवाद नपिटान पैनल के एक नरिणय के वरिद्ध अपील की थी, जिसमें नरिणय दिया गया था क़ीनी और गन्ने के लिये भारत के घरेलू समर्थन उपाय वैश्विक व्यापार मानदंडों के साथ असंगत हैं।
 - अपनी अपील में भारत ने तर्क दिया कि पैनल ने यह पता लगाने में गलती की है कि भारत के FRP और SAP, AoA के तहत बाज़ार मूल्य समर्थन का गठन करते हैं।
- भारत ने इस तर्क को इंगति करते हुए कहा कि USA-ऑस्ट्रेलिया वशिलेषण सबसडि की गणना के लिये एक वर्ष की अवधि में पूरे भारत के गन्ना उत्पादन का उपयोग करता है, भले ही गन्ना वास्तविकता में गन्ना (नरिणय) आदेश के अंतर्गत पेरई के लिये चीनी मलिन तक पहुँचाया गया हो अथवा नहीं।
 - गन्ना (नरिणय) आदेश, 1966 एक नयामक ढाँचा है जो भारत में गन्ना उत्पादन, मूल्य नरिधारण और व्यापार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नरिणयति करता है।

नोटः

- **उचति एवं लाभकारी मूल्य (FRP):** यह एक नरिधारित मूल्य है जो सरकार द्वारा नरिधारित किया जाता है और यह वो न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मलिन को किसानों को उनके गन्ने के लिये भुगतान करना होगा। यह मूल्य सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसल के लिये उचित भुगतान मलि।
- **राज्य-अनुशंसित कीमतें (SAPs):** कुछ राज्यों में किसानों की उत्पादन दक्षता में सुधार के लिये FRP के अलावा अतिरिक्त भुगतान मलिता है, और कुछ राज्यों में चीनी मलिन राज्य-सलाह मूल्य (SAP) नामक वशिष्ट राज्य-स्तरीय समर्थन के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त भुगतान प्रदान करती हैं।

वशि्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) क्या है?

■ परिचयः

- WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को नरिणयति और बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं (यूरोपीय संघ सहित)।
- यह सदस्य देशों को व्यापार समझौतों पर वार्ता करने और लागू करने, विवादों को सुलझाने तथा आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय जनिवा, स्वटिज़रलैंड में है।

■ WTO की उत्पत्तिः

- WTO टैरिफि और व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) का उत्तराधिकारी है, जिसि वर्ष 1947 में बनाया गया था।
- GATT के उरुग्वे राउंड (Uruguay Round) (1986-94) के कारण WTO का नरिमाण हुआ।
 - वशि्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी, वर्ष 1995 को परिचालन शुरू किया।
- WTO की स्थापना करने वाला समझौता, जिसि आमतौर पर "माराकेश समझौता" के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1994 में मराकेश, मोरक्को में हस्ताक्षरित किया गया था।
 - भारत, 1947 GATT और उसके उत्तराधिकारी, WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक था।
- GATT और WTO के मध्य मुख्य अंतर यह था कि GATT ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, WTO एवं इसके समझौते न केवल वस्तुओं को समाहित कर सकते थे, बल्कि सेवाओं तथा अन्य बौद्धिक संपदा जैसे व्यापार नरिमाण, डिज़ाइन व आविष्कारों में भी व्यापार कर सकते थे।

■ WTO का विवाद नविारण तंत्रः

- WTO के नियमों के अनुसार, WTO के सदस्य या सदस्य जनिवा स्थिति बहुपक्षीय **विवाद नपिटान निकाय (DSB)** में मामला दायर कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई वशिष व्यापार उपाय WTO के मानदंडों के खिलाफ है।
 - किसी विवाद को सुलझाने के लिये **द्विपक्षीय परामर्श** पहला कदम है। यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं हैं, तो कोई भी **विवाद नपिटान पैनल** की स्थापना के लिये संपर्क कर सकता है।

■ विवाद नपिटान निकाय (DSB):

- DSB सदस्य देशों के मध्य व्यापार विवादों पर नरिणय लेता है। इसमें **WTO** के सभी **सदस्य** शामिल हैं।
- DSB अपने सभी नरिणय **सर्वसम्मति** से लेता है।
- DSB के पास मामले पर विचार करने के लिये वशिषज्ञों के पैनल स्थापति करने और पैनल के नषिकर्षों या अपील के परिणामों को स्वीकार

या अस्वीकार करने का एकमात्र अधिकार है।

- यह फैसलों एवं अनुसंधानों के कार्यान्वयन की नगिरानी करता है और जब कोई देश किसी फैसले का पालन नहीं करता है तो उसके पास प्रतियोगिता को अधिकृत करने की शक्ति होती है।
- पैनल के फैसले या रिपोर्ट को **WTO के अपीलीय निकाय (WTOAB)** में चुनौती दी जा सकती है।
 - हालाँकि, अभी तक इस निकाय में नए सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर सदस्य देशों के मध्य मतभेद के कारण WTOAB कार्य नहीं कर रहा है।
 - अपीलीय निकाय के पास 20 से अधिक विवाद पहले से ही लंबित हैं। अमेरिका सदस्यों की नियुक्तियों में बाधा डालता रहा है।

नबिर्करष:

भारत की गन्ना सबसिडि के खलिफ आरोप अंतरराष्टरीय व्यापार गतशीलता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लंबे विवाद समाधान प्रक्रिया डबल्यू.टी.ओ. नियमों के अनुपालन को लागू करने से जुड़ी जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित करती है।

?????? ???? ?????:

बढ़ते व्यापारिक विवादों के बीच विश्व व्यापार संगठन में प्रमुख सुधार क्षेत्रों की पहचान कीजिये, साथ ही भारत के व्यापार हितों पर प्रभाव और वैश्विक व्यापार भविष्य को आकार देने में भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2020)

1. जब 'बड चिप सैटलिंग्स (Bud Chip Settlings)' को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रत्यारोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है।
2. जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक-कलिका (Single-Budded) सेट्स का अंकुरण प्रतशित कई-कलिका (Many Budded) सेट्स की तुलना में बेहतर होता है।
3. खराब मौसम की दशा में यदा सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक-कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है।
4. गन्ने की, खेती, उक्त संवर्द्धन से तैयार की गई सैटलिंग से की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 1 और 4
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन किया है।
2. TFA, WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है।
3. TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016)

- (a) WTO मामला
- (b) SAARC मामला
- (c) UNFCCC मामला
- (d) FTA पर भारत-यूरोपीय संघ वार्ता

उत्तर: (a)

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लॉज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

- (a) खाद्य और कृषि संगठन
- (b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
- (c) विश्व व्यापार संगठन
- (d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

?????:

प्रश्न . यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) को ज़िदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए? (2018)

प्रश्न . "WTO के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोन्नत करना है। परंतु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधिभूतमुखी प्रतीति होती है जिसका कारण विकास और विकासशील देशों के बीच मतभेद है।" भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न . WTO एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। WTO का क्या अधिदेश (मैडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पछिल्ले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये। (2014)